संख्या- ए. 20011/4/2020- हिन्दी

भारत सरकार, गृह मंत्रालय
समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार

खंड-9, कें.स. का. परिसर
लोधी रोड, नई दिल्ली -3
दिनांक- 12 फरवरी, 2020

सेवा में,

संयुक्त सहायक निदेशक/ स्टेशन अधीक्षक
सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र

विषय: मुख्यालय निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिसम्बर 2019 की तिमाही बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में

महोदय,

कृपया इस निदेशालय के दिनांक 14 जनवरी 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए.20011/4/2017/हिंदी का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (यह कार्यालय ज्ञापन विभाग के सरकारी बेबसाइट पर उपलब्ध है)। इस पत्र के अंतर्गत निदेशालय की दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही में राजभाषा कार्यन्वयन समिति की तिमाही बैठक की कार्यवृत्त अग्रेषित की गयी थी और बैठक में लिए गए निर्णयों पर यथापेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना इस निदेशालय को एक माह के भीतर भेजने का आग्रह किया गया था।

2. दिसम्बर 2019 की तिमाही बैठक में लिए गए निर्णयों के अंतर्गत सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों द्वारा की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है :-

(क) सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र अपने-अपने केन्द्रों पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक (तिमाही के दूसरे महीने के तीसरे सप्ताह तक) नियमित रूप से आयोजित करेंगे और इसकी सूचना और कार्यवृत्त निदेशालय में भेजेंगे।

(ख) सभी केन्द्र अपने केन्द्र में हिंदी कार्यशाला प्रत्येक तिमाही में (तिमाही के दूसरे महीने के तीसरे सप्ताह तक) नियमित रूप से आयोजित करेंगे और इसकी सूचना निदेशालय में भेजेंगे।

(ग) हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने पर निदेशालय को अग्रेषित करेंगे एवं इसकी एक प्रति संबंधित केन्द्र के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (राजभाषा विभाग) को भी भेजेंगे। ***(केन्द्रों से प्राप्त तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा करने पर पाया गया है कि अधिकांश केन्द्र अपनी रिपोर्ट में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक और हिंदी कार्यशाला के आयोजन संबंधी सूचना संबंधित कॉलम में नहीं देते हैं, जबकि बैठक और कार्यशाला के आयोजन से संबंधित सूचना इस निदेशालय को उनके पत्र या संदेश के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए केन्द्रों से अनुरोध है कि अपनी तिमाही रिपोर्ट में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक की तिथि और हिंदी कार्यशाला के आयोजन का उल्लेख अवश्य करें।)***

(घ) अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र - लखनऊ, जम्मू, ईटानगर और हैदराबाद ने अभी तक अपने नगर में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। निदेशक महोदय ने निर्देश दिया है कि ये केन्द्र नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता यथाशीघ्र प्राप्त करेंगे।

(ङ) सभी केन्द्रों में उपलब्ध कम्प्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने की सुविधा होनी चाहिए।

(च) **राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2019-20 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना**. सभी केन्द्र वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे, लक्ष्य निम्नानुसार है :-

2/-

(i) **<u>हिंदी पत्राचार</u>**. 'क' क्षेत्र में स्थित अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के लिए हिंदी पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत है। 'क' क्षेत्र में अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र - जयपुर, लखनऊ, देहरादून, पटना, रायपुर, भोपाल, रांची, जयपुर और पोर्ट ब्लेयर केन्द्र आते हैं। 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए हिंदी पत्राचार का लक्ष्य 90 प्रतिशत है। 'ख' क्षेत्र में अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र- चंडीगढ़, दमन, गांधीनगर, मुंबई केन्द्र आते हैं। 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए हिंदी पत्राचार का लक्ष्य 55 प्रतिशत है। ग' क्षेत्र में अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र- अगरतला, आईजॉल, बैंगलोर, भुवनेश्वर, चैन्नई, दिसपुर, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जम्मू, कवारती, कोहिमा, कोलकाता, पणजी, पॉन्डीचेरी, शिलॉग और त्रिवनंतपुरम केन्द्र आते हैं। सभी केन्द्र हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

(ii) **<u>फाइलों में हिंदी टिप्पण/आलेखन.</u>** फाइलों में हिंदी टिप्पण का लक्ष्य 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालय के लिए 75 प्रतिशत है, 'ख' क्षेत्र के लिए 50 प्रतिशत और 'ग' क्षेत्र के लिए 30 प्रतिशत लक्ष्य है।

(iii) कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले सभी रबड़ की मोहरें, निर्धारित प्रारूप और साइनबोर्ड आदि द्विभाषी होने चाहिए।

(iv) हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर निश्चित रूप से हिंदी में ही दिए जाएं। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देना राजभाषा नियय का उल्लंघन है।

(v) राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात निश्चित रूप से द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) रूप में जारी किए जाने चाहिए। धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात केवल अंग्रेजी में जारी करना राजभाषा के नियमों का उल्लंघन है।

(vi) केन्द्र जिस नगर में स्थित हैं, उस नगर विशेष में स्थित राजभाषा विभाग के हिंदी शिक्षण संस्थान से हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त करना और कम्प्यूटर पर हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण से संबंधित पत्र या सूचना प्राप्त होने पर अपने केन्द्र के अहिंदी भाषी कार्मिकों को हिंदी प्रशिक्षण हेतु नामित कर प्रशिक्षण हेतु भेजना सुनिश्चित करें। कम्प्यूटर पर काम करने वाले कार्मिकों को कम्प्यूटर में हिंदी प्रशिक्षण हेतु नामित करना व भेजना एवं इसकी सूचना मुख्यालय को देने संबंधी की गई कार्रवाई।

(छ) हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए सभी केन्द्र अग्रेषण पत्र, कार्यग्रहण पत्र, अवकाश सूचना पत्र और इसी प्रकार के अन्य पत्रों को हिंदी में जारी करेंगे ताकि हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(ज) केन्द्र में उपलब्ध और प्रयोग की जाने वाली फाइलों एवं रजिस्टरों आदि पर शीर्षक हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाएं और इनमें प्रविष्टियॉ भी हिंदी में करने का प्रयास करें।

3. अत: सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के संयुक्त सहायक निदेशक/केन्द्र अधीक्षक से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त पैरा 2 (क) से 2 (ज) में उल्लिखित सभी मदों पर उनके द्वारा की गई बिंदुवार कार्रवाई से इस निदेशालय को यथाशीघ्र दिनांक 01 मार्च 2020 तक अवगत कराने का कष्ट करें ताकि इसकी सूचना मार्च 2020 की तिमाही बैठक में निदेशक महोदय को दी जा सके और अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

4. कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए।

12.02.2020

(डॉ. आर. के. सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

<u>प्रतिलिपि</u>.

सहायक निदेशक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) - कृपया विभाग की वेबसाइट (परिपत्र शीर्ष/Circular Section) पर अपलोड करने हेतु।